न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या	51 / 2023
प्रविष्टि दिनांक	15.03.2023
निर्णय दिनांक	26.10.2023

रामेश्वर पुत्र पोखर जाति धाकड निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक
—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार नासिरदा, तहसील नासिरदा, जिला टोंक राजस्थान
—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.02.2023 नायब तहसीलदार नासिरदा पत्रावली सं. 1492 / 2022

उपस्थिति : (1) श्री हंसराज धाकड़, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय — दिनांक 26.10.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2023 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म सिवायचक वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील देवली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर राजस्व लगान राशि 1.60 रूपये का 50 गुना जुर्माना कुल 80 रू शास्ति अदा करने तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नासिरदा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांट पर नहीं हुई, तामिल कुनिन्दा द्वारा विधि अनुसार अपीलांट पर तामिल नहीं करायी गयी थी किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की गलत रूप से उपस्थिति दर्ज की गई है, जबकि न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट की उपस्थिति बाबत कोई हस्ताक्षर व अंगूठा नहीं हो रखी है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलांट का मौके पर उक्त भूमि पर कब्जा काश्त हो जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा, काश्त नहीं है और ना ही अपीलांट का किसी भी सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण है। इसके बावजूद उक्त निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के भाई गोकुल पोखर व कजोड पुत्र बजरंग द्वारा ग्राम रूघनाथपुरा में स्थित सिवायचक भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण की शिकायत सक्षम उच्च अधिकारियों से की गई थी, उक्त शिकायत की जानकारी पटवारी व अतिक्रमियों को होने पर उनके द्वारा आपस में मिलीभगत कर अपीलांट के विरूद्ध हलका पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है। पटवारी हलका की रिपोर्ट दुर्भावना पूर्वक की गई है। अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हलका पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत् कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है जिससे अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर कानूनी भूल की है। अपीलांट के अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और वह भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 24.02.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है व नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है किन्तु अतिकमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 1154/2022 निर्णय दिनांक 20.01.2023 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर काश्त कर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिकमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिकमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नं. 8 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म सिवायचक वाके ग्राम रूघनाथपुरा पर काश्त कर अतिक्रमण किया था। अपीलांट के अभिभाषक का कथन हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और वह भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें वर्तमान में भूमि पर से अतिक्रमी द्वारा कब्जा हटा लेना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.02.2023 के जरिये लगाया गया अर्थ दण्ड व बेदखल करने की कार्यवाही यथावत रखी जाती है, परन्तु सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि तहसीलदार नासिरदा यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटा लिया है। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है। अपीलांट द्वारा कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में या भविष्य में किसी अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अति. जिला कलेक्टर,
टोंक